न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

नजरसानी प्रा.पत्र संख्या 19m / 2016 हरीश कुमार बनाम नाथाराम आदि

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
17.07.17	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी नाथाराम ने एक प्रा.पत्र उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 251(क) के तहत प्रस्तुत कर रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। उपखंड अधिकारी ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 05.01.16 को प्रा.पत्र अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में नाथाराम ने अपील पेश की जो दिनांक 04.07.2016 को स्वीकार कर चक 36 जी.जी. प्रथम के मु.न. 36 के कि.न. 18 व 23 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रार्थीगण ने यह नजरसानी प्रा.पत्र पेश किया है। पक्षकारों द्वारा दिनांक 14.07.2017 को राजीनामा पेश किया। पक्षकार स्वयं उपस्थित थे। पक्षकारों की पहचान उनके अधिवक्तागण ने की। राजीनामा पर बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार नजरसानी प्रा.पत्र स्वीकार करते हुए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2016 को निरस्त करते हुए मु.नं. 36 के कि.न. 20, 21 के पश्चिमी की डेढ–डेढ बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में नाथाराम अप्रार्थी प्रार्थी को 0.012 है0 भूमि देगा। निर्णित प्रा.पत्र नम्बर से कम होकर शामिल मूल अपील रहें। राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर (राज.)	

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर